

## नोटिस

न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़।

पत्रांक: 2049/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2020

दिनांक 26/09/2020

श्री रामानन्द यादव पुत्र श्री देवनारायण यादव, ग्राम-सरायमक्खन, पोस्ट-इन्दारा, तहसील-सदर, जनपद-मऊ।.....परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड (द्वितीय), मऊ।.....विपक्षी

परिवादी (श्री रामानन्द यादव पुत्र श्री देवनारायण यादव) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जन अदालत मऊ (कार्यालय अधिशाली अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड, हाईडिल कालोनी, सहादतपुरा, मऊ) में दिनांक 12.10.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षीगण (अधिशाली अभियन्ता, विधुत वितरण खण्ड-(द्वितीय), मऊ।) को इस संबंध में विधुत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा जन अदालत मऊ (कार्यालय अधिशाली अभियन्ता विद्युत परीक्षण खण्ड, हाईडिल कालोनी, सहादतपुरा, मऊ) में दिनांक 12.10.2020 को पूर्वाचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 26.09.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 26.09.2020

घाट किरा।

रामानन्द यादव

26.9.20

ol ✓



विधुत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ0प्र0)।